

विधिन में धन वधियक के उपयोग की जाँच सर्वोच्च न्यायालय करेगा

प्रलिमिस के लिये:

भारत के मुख्य न्यायाधीश, धन वधियक, संसद, राज्यसभा, अनुच्छेद 110, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, समेकति निधि

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान, न्यायिक समीक्षा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (Chief Justice of India- CJ) ने **संसद** में विविदास्पद संशोधनों को पारति करने के लिये सरकार द्वारा **धन वधियक** मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमतव्यकृत की है।

- यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह **राज्यसभा** की अवहेलना तथा संविधान के **अनुच्छेद 110** के संभावित उल्लंघन से संबंधित है।

धन वधियक के संबंध में चिताएँ क्या हैं?

- राज्यसभा को दरकनिर करना:** प्राथमिक चिताओं में से एक यह है कि विविदास्पद संशोधनों को धन वधियक के रूप में पारति करने से सरकार को राज्यसभा को दरकनिर करने का मौका मिल जाता है, जिससे संसद की दवासिदनीय प्रकृतिकमज़ोर होती है।
 - कसी वधियक को धन वधियक के रूप में वर्गीकृत करने से राज्यसभा को केवल उसमें परविरतन की सफारिश करने की शक्तिप्राप्त हो जाती है तथा उसे वधियक को संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता।
 - उच्च सदन के रूप में राज्यसभा कानून पर अतिरिक्त जाँच करती है। इसे दरकनिर करने से व्यापक बहस और निरीक्षण का अवसर कम हो जाता है।
- अनुच्छेद 110 का उल्लंघन:** यह निर्दिष्ट करता है कि धन वधियक क्या होता है। ऐसी चिताएँ हैं कि धन वधियक के रूप में चाहिनति कर्ये गए कुछ संशोधन इन प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं।
- अध्यक्ष का प्रमाणन:** संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को कसी वधियक को धन वधियक के रूप में प्रामाणित करने का अधिकार है, यह निरिय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
 - इससे इस शक्ति के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिता उत्पन्न होती है, जिससे विधायी प्रक्रयाओं को दरकनिर करने का अवसर मिल जाता है।
- चिता को उजागर करने वाले विशेषज्ञ मामले:**
 - आधार अधिनियम:** **आधार (वित्तीय और अन्य सबसंडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, 2016** को अनुच्छेद 110(1) के तहत धन वधियक के रूप में वर्गीकृत कर्या गया था, जिसके कारण व्यापक विवाद हुआ।
 - वर्ष 2018 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने आधार कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें बहुमत से फैसला दिया गया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सबसंडी और लाभ प्रदान करना था, जिसमें समेकति निधि से व्यय शामिल है तथा इसलिये इसे धन वधियक के रूप में पारति करने के योग्य माना गया।
 - हालाँकि न्यायमूरती.वाई. चंद्रचूड़ (जो उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे) ने असहमति जताते हुए कहा कि इस मामले में धन वधियक की राह अपनाना "संवैधानिक प्रक्रया का दुरुपयोग" है।
 - वित्त अधिनियम, 2017:** **वित्त अधिनियम, 2017** में कई अधिनियमों में संशोधन शामिल थे, जिनमें सरकार को न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार देना शामिल था।
 - कई याचिकाकरताओं ने तरक दिया कि वित्त अधिनियम, 2017 को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जिनका अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध विधियों से कोई संबंध नहीं था।
 - वर्ष 2019 में रोजर मैथू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने धन वधियक पहलू को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेज दिया था।

- धन शोधन नविरण अधिनियम (PMLA) संशोधन: वर्ष 2015 से धन वधियक के रूप में पारति [PMLA](#) में संशोधनों ने प्रवर्तन नदिशालय को गरिफतारी और छापेमारी सहति व्यापक शक्तियाँ प्रदान की।
 - हालाँकि सिर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह सवाल किया उन्हें धन वधियक के रूप में पारति किया जाना चाहिये था, सात न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ दिया।
 - इन संशोधनों के माध्यम से दी गई व्यापक शक्तियों ने संभावित दुरुपयोग और वधियी जाँच को दरकनिएर करने के बारे में चतिएँ उत्पन्न की।

वर्ष 2019 के फैसले के बाद के घटनाक्रम

- सात न्यायाधीशों वाली पीठ (जिसका उल्लेख पहले किया गया है) ने अभी तक वैध धन वधियक की अवधारणा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया है, जिसका प्रभाव आगामी वधियों पर पड़ेगा।
- न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय की शक्तियों और चुनावी कानूनों से संबंधित मामलों में धन वधियक के प्रश्न को हल करने से परहेज़ किया है तथा बड़ी पीठ के नियन्य की प्रतीक्षा कर रहा है।

धन वधियकों के गलत वर्गीकरण के संभावित परिणाम क्या हैं?

- कानूनी चुनौतियाँ:** वधियकों को धन वधियक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने से लंबी कानूनी लडाई हो सकती है, जिससे वधियी प्रक्रियाएँ में अनश्चितिता बढ़ सकती है।
- वधियी उदाहरण:** यदि न्यायालय किसी बरकरार रखती है, तो धन वधियक का अनुचित उपयोग भविष्य की सरकारों के लिये राज्यसभा को दरकनिएर करने का एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- लोगों का वशिवास:** धन वधियकों से संबंधित विवाद वधियी प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रियाओं की अखंडता में जनता के वशिवास को खत्म कर सकते हैं।
- भारतीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव:**
 - धन वधियकों के इर्द-गिर्द चल रही बहस और न्यायकि समीक्षा लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच [शक्ति संतुलन](#) बनाए रखने के महत्वपूर्ण को रेखांकित करती है।
 - यह सुनश्चिति करना किसी भी व्ययों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये।
 - संवेदनकि प्रावधानों को बनाए रखना और उनका दुरुपयोग रोकना भारत की लोकतंत्रकि प्रक्रियाओं की अखंडता के लिये आवश्यक है।

धन वधियक क्या है?

- परिचय:** भारतीय संवधिन के अनुच्छेद 110 में धन वधियक की परभिषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी वधियक में केवल वशिष्ट वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान हों तो उसे धन वधियक माना जाता है। इनमें शामिल हैं:
 - कराधान संबंधी मामले: किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परविरतन या वनियमन।
 - उधार वनियमन: केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का वनियमन।
 - निधियों की अभिरक्षा: [भारत की समेकति निधि](#) (करों और उधार तथा ऋण के रूप में किये गए व्ययों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व) या आकस्माकिता निधि (अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये धन) का प्रबंधन।
 - निधियों का वनियोजन: समेकति निधि से धन का वनियोजन।
 - व्यय घोषणा: समेकति निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा।
 - धन प्राप्ति: समेकति निधिया सावजनिक खातों से संबंधित धन की प्राप्ति।
 - अन्य मामले: उपरोक्त प्रावधानों से संबंधित कोई भी मामले।
- लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन:** किसी वधियक को धन वधियक मानने का नियन्य लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यह नियन्य अंतमि होता है और इस पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है तथा न ही राष्ट्रपति द्वारा इसे चुनौती दी जा सकती है।
 - प्रमाणन के बाद अध्यक्ष वधियक को धन वधियक के रूप में अनुमोदित करते हैं, जब इसे सफिरियों के लिये राज्यसभा को भेजा जाता है।
- वधियी प्रक्रिया:** धन वधियक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित किये जाने होते हैं। उन्हें सरकारी वधियक माना जाता है और उन्हें केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - लोकसभा में पारति होने के पश्चात् वधियक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं, जैसे यह धन वधियक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है अपत्ति केवल अनुशंसाएँ कर सकता है और चाहे वह अनुशंसाएँ करे या नहीं 14 दिनों के भीतर वधियक को वापस भेजा जाना होता है।
 - लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी अनुशंसा को स्वीकार करती है तो वधियक को संशोधित रूप में पारति माना जाता है; यदि वह उन्हें अस्वीकार करती है, तो यह अपने मूल रूप में पारति होता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति:** जब धन वधियक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो स्वीकृति दें सकता है या उसे वधिरति (रोकना) रख सकता है किंतु पुनर्विचार के लिये वापस नहीं कर सकता।

- प्रायः राष्ट्रपतिधन वधीयकों को स्वीकृतिदें देता है क्योंकि उसकी पूरव अनुमति से प्रस्तुत किये जाते हैं।

नोट: कसी वधीयक को केवल इस आधार पर धन वधीयक नहीं घोषित किया जा सकता। क्योंकि इसमें जुरमाना या आरथक दंड अधिशेषित करना, लाइसेंस या सेवाओं के लिये शुल्क की मांग या भुगतान तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये कराधान शामिल है।



विधेयकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधेयक

- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:

- करारोपण
- सरकारी व्यय
- संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
- भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग:

■ वित्त विधेयक (I) - उदाहरण - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।

■ वित्त विधेयक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधेयकों के प्रकार

| विशेषताएँ | साधारण विधेयक | धन विधेयक | वित्त विधेयक (I) | वित्त विधेयक (II) | संविधान संशोधन विधेयक |
|---|---|--|---|--|---|
| अनुच्छेद | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| जिन सदनों में पेश किया जा सकता है | 107, 108 | 110 | 117 (1) | 117 (3) | 368 |
| जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है | लोकसभा और राज्यसभा दोनों | केवल लोकसभा | केवल लोकसभा | लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानसंगठन नहीं) | लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानसंगठन नहीं) |
| राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधेयक पेश करने के संदर्भ में) | मंत्री या निजी सदस्य | केवल मंत्री | मंत्री या निजी सदस्य | मंत्री या निजी सदस्य | मंत्री या निजी सदस्य |
| राज्यसभा द्वारा संशोधन/ अस्वीकृति | आवश्यक नहीं | आवश्यक है | आवश्यक है | केवल विचार के लिये सिफारिश | आवश्यक नहीं |
| गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक | किया जा सकता है | सिफारिश ही की जा सकती है (वाध्यकारी नहीं) | किया जा सकता है | किया जा सकता है | किया जा सकता है |
| राष्ट्रपति की भूमिका | राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है | कोई प्रावधान नहीं | राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है | राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है | कोई प्रावधान नहीं |
| | अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना | अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस भेजना | अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना | स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना | स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता / वापस नहीं भेज सकता) |

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. प्रतिवरीधात्मक संशोधनों को पारति करने हेतु सरकार द्वारा उन्हें धन विधियक के रूप में घोषित करने से जुड़ी चतिआओं का मूल्यांकन कीजिये। ये प्रावधान कसि प्रकार विधियी जवाबदेहति को सुनिश्चित या कमज़ोर करते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. धन विधियक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2018)

- (a) कसि बलि (विधियक) को धन विधियक तब माना जाएगा जब इसमें केवल कसि कर के अधिकारण, उन्मूलन, माफी, प्रविर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हों।
- (b) धन विधियक में भारत की संचति निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिक्षा से संबंधित उपबंध होता है।
- (c) धन विधियक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है।
- (d) धन विधियक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूतादेने के विनियमन से संबंधित होता है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. यदि कसि धन विधियक में राज्य सभा द्वारा प्रयाप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? (2013)

- (a) लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सफिरशिंगों को सवीकार करते हुए विधियक पर आगे बढ़ सकती है।
- (b) लोकसभा इस विधियक पर आगे विचार नहीं कर सकती।
- (c) लोकसभा इस विधियक को पुनर्विचार के लिये राज्यसभा में भेज सकती है।
- (d) राष्ट्रपति विधियक पारति करने के लिये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-to-examine-use-of-money-bills-in-legislation>